तारीख हुक्म	**अपील डिक्री/टी.ए./2016/4113/जयपुर** **केसरी बनाम रामस्वरूप**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्ड–पीठ **श्री भंवर सिंह सान्दू, सदस्य** **श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य** **दिनांक : 08–6–2023** **आदेश** पत्रावली वास्ते निर्णय लिखवाने बाबत पेश हुई। पत्रावली में वकील अपीलान्ट श्री हेमन्त सोगानी व वकील रेस्पोन्डेन्ट श्री जे.के. पारीक उपस्थित है। वकील उभय पक्ष की बहस अपीलान्ट द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश–22 नियम–4 व 9 धारा–151 जाप्ता दीवानी मय धारा–5 मियाद अधिनियम दिनांक 9–5–2019 पर सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने निवेदन किया कि पत्रावली में रेस्पो. संख्या–15 श्री माधोलाल व रेस्पो. संख्या–16 श्री रामसहाय दोनों का देहान्त हो चुका है। अतः इनके विधिक वारिसानों को रिकार्ड पर लिया जाये। वकील अपीलान्ट ने बताया कि रेस्पो. संख्या–15 श्री माधोलाल व रेस्पो. संख्या–16 श्री रामसहाय के देहान्त की जानकारी पूर्व में श्री खडगसिंह, अधिवक्ता थे जिनको दी गयी थी। जिसके बाद अधिवक्ता अपीलान्ट श्री खडगसिंह का देहान्त हो गया था। उनके देहान्त के बाद पत्रावली में अधिवक्ता अपीलान्ट श्री हेमन्त सोगानी को नियुक्त किया गया, जिसके बाद पत्रावली के अवलोकन से उन्हें रेस्पो. संख्या–15 श्री माधोलाल व रेस्पो. संख्या–16 श्री रामसहाय के देहान्त की जानकारी प्राप्त होने पर इनके कायम मुकामान की कार्यवाही की गयी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इनके कायम मुकामान को रिकार्ड पर लिया जाये। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आदेश 22 नियम 4 व 5 तथा धारा–151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र विलंब से प्रस्तुत हुआ है। इस बाबत् धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके विरूद्ध विपक्षी की ओर से काउंटर शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिये धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों पर विश्वास	

करते हुये प्रार्थना पत्र को अंदर मियाद मानकर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर होना न्याय संगत है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी स्वीकार किया जाकर रेस्पो. संख्या–15 व 16 के विधिक वारिसानों को रिकार्ड पर लिया जाता है। वकील अपीलान्ट रेस्पो. संख्या 15 व 16 के विधिक वारिसानों के रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस पेश करें, जो पेश होने पर बाद जांच जारी हो।

वकील उभय पक्ष की बहस वकील रेस्पो. द्वारा पेश प्रार्थना पत्र धारा–151 सीपीसी दिनांक 9–2–2023 पर सुनी गयी। पक्षकारान के मध्य वाद बाहुल्यता ना बढे इस स्थिति को ध्यान में रखते हुये अभिभाषक रेस्पो. का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–5–2016 में उभय पक्ष विवादित भूमि का बेचान नहीं करें साथ ही विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति मण्डल की आगामी नियत दिनांक तक बनाये रखेंगे। अहकाम दस्ती जारी हो। पत्रावली आईन्दा दिनांक 22–6–2023 को किसी भी खण्डपीठ के समक्ष पेश हो।

(भवानी सिंह पालावत) **(भंवर सिंह सान्दू)**
सदस्य **सदस्य**

तारीख हुक्म	**अपील डिक्री/टी.ए./2016/4113/जयपुर** **केसरी बनाम रामस्वरूप**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए